I 2428/18

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

जारीकर्ता अधिकारी H. Sahu
Issuing Office Name
पद– Manager
Designation -
हस्ताक्षर –
Signature -
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया / Central Bank of India
हजरतगंज, लखनऊ / Hazratganj, Lucknow

Certificate No.	:	IN-UP04841691785374Q
Certificate Issued Date	:	24-Jul-2018 02:33 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upcbibk02/ HAZRATGANJ/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPCBIBK0205802221493477Q
Purchased by	:	SAURABH KUMAR VERMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	FLAT NO-2B/T2-503, BHAGIRATHI ENCLAVE , AWADH VIHAR YOJNA SULTANPUR ROAD LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	SAURABH KUMAR VERMA
Stamp Duty Paid By	:	SAURABH KUMAR VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,75,000 (Three Lakh Seventy Five Thousand only)

114

114

----------------------------Please write or type below this line----------------------------

SAURABH KUMAR VERMA

क्रेता

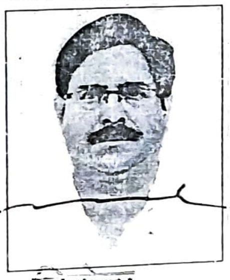

विक्रेता

0005862583

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित भागीरथी एन्क्लेव 3BHK+Servant फ्लैट संख्या–2B/T2-503

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					क्रेता / प्रस्तुतकर्ता **श्री सौरभ कुमार वर्मा** पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी–टी–4 / 2, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मेरठ, उ0प्र0	 क्रेता
					विक्रेता सम्पत्ति प्रबन्धक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।	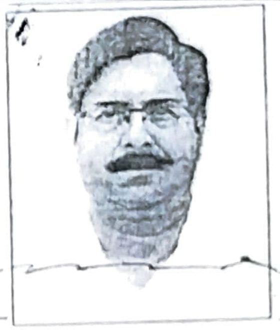 विक्रेता
					सुधीर कुमार वर्मा S/. कन्हैयालाल वर्मा ग्राम रुकधरा शिवपुर (बहराइच)	
					योजना सहायक उ0प्र0 आवास एव विकास परिषद लखनऊ	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

BE 499989

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 03 माह 08 वर्ष 18 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात ''परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

क्रमशः 2 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

BE 499990

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

एक पक्ष और **श्री सौरभ कुमार वर्मा पुत्र स्व० नरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी–टी–4/2, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मेरठ, उ०प्र०** जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

क्रमशः 3 पर

क्रेता विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 499991

(3)

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में **अवध विहार योजना** नामक मुहल्ले के **सेक्टर–2बी** में निर्मित एस.एफ. एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के **भागीरथी एन्क्लेव 3BHK+Servant** का **फ्लैट संख्या–2B/T2-503** का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने **रू0 53,09,222.00 (रू0 तिरपन लाख नौ हजार दो सौ बाईस मात्र) जिसका आधा रू0 26,54,611.00 (रू0 छब्बीस लाख चौवन हजार छः सौ ग्यारह मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (**संख्या–2B/T2-503**) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची ''क'' में उल्लिखित है।

क्रमशः 4 पर

क्रेता विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 499991

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में **अवध विहार योजना** नामक मुहल्ले के सेक्टर–**2बी** में निर्मित एस.एफ. एस. 2013 बहुमंजिलीय योजना के **भागीरथी एन्क्लेव 3BHK+Servant** का **फ्लैट संख्या–2B/T2-503** का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने **रू0 53,09,222.00 (रू0 तिरपन लाख नौ हजार दो सौ बाईस मात्र) जिसका आधा रू0 26,54,611.00 (रू0 छब्बीस लाख चौवन हजार छः सौ ग्यारह मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त फ्लैट्स (संख्या–2B/T2-503) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है।

क्रमशः 4 पर

क्रेता विक्रेता

(जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तो के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव **रू0 53,09,222.00 (रू0 तिरपन लाख नौ हजार दो सौ बाईस मात्र)** की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात फ्लैट संख्या-**2B/T2-503** क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।

4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे, उक्त परिषद से यथा प्रस्तावित भूखण्डों/फ्लैटों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं हेतु पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :-

क्रमशः 5 पर

क्रेता   विक्रेता

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निरतारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति **(संख्या–2B/T2-503)** पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को **13.50%** की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

8) क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति **संख्या–2B/T2-503** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

क्रमशः 6 पर

क्रेता **विक्रेता**

11) क्रेता को फ्लैट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से **दो वर्ष** तक अनुरक्षण व्यय हेतु रू0 **1907.00** प्रति माह "कार्पस फण्ड" में जमा करना होगा। **भागीरथी एन्क्लेव** में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से **2 वर्ष** के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव को अपने श्रोतो से करना होगा। निर्धारित रख–रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से **2 वर्ष** तक प्रति माह आवंटी को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक आवंटी को बनना अनिवार्य होगा।

12) सुपर एरिया पर एक रूपया एवं पैसे दस प्रति वर्ग फुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख–रेख, सफ़ाई, विद्युत बिल आदि के रख–रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ओनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। सीढ़ियों, बरामदा, पार्किंग स्थान, पाक्र, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवार सिस्ट्म का रख–रखाव (एस0टी0पी0) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।

13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय–विलेख निषादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

क्रमशः 7 पर

क्रेता विक्रेता

15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

16) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड–प्रथम उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, में निर्धारित जमा धनराशि एव कनेक्शन चार्ज जमा करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वंय के व्यय से लिया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे **भागीरथी एन्क्लेव** के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मिन्टेनेन्स मरम्मत पेन्टिग ट्यूबवेल मरम्मत कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर,नाली एस0टी0पी0 एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा वह आवंटियों के मध्य विभाजित एवं देय होगा।

18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।

19) क्लब, ओपेन एरिया पार्किग आदि कामन एरिया उ0प्र0 अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ कास्ट्रक्शन ओनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट–2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।

20) फ्लैट्स के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट्स की चारो दिवारों से लगे हुये फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।

21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

23) क्रेता द्वारा विभिन्न मदों में किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची–क में है।

क्रमशः 8 पर

क्रेता विक्रेता

अनुसूचित "क"

विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण

वार्ड— ....

प्रतिफल की धनराशि (रूपये में)

मूल्य रू0 **53,09,222.00**

स्टाम्प पेपर रू0 **3,78,000.00**

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रू0 **53,09,222.00** ब्याज/दण्ड ब्याज रू0 **88961.00** कुल रू0 **53,98,183.00** आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट—(1) अतः शासनादेश सं0 वि0 क0 नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनाक 30.06.2008 एवं शासनादेश सं0 **772**/स्टाम्प—लिपिक—**2015** दिनांक 15—12—2015 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू0 **3,75,000.00** के ई—स्टैम्प प्रमाण पत्र संख्या—**IN-UP04841691785374Q DATE 24/07/2018 एवं रू0 3000.00 का स्टाम्प पेपर कुल रू0 3,78,000.00** पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट—(2) आवंटित फ्लैट्स सं0 **2B/T2-503** का जो निर्गत पत्र संख्या—**18312** दिनांक **23-02-2018** छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग—7, आदेश संख्या—13/संख्या—क0नि0 7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है तथा कब्जा दिया जाना प्रदत्त है।

अवध विहार योजना नामक मोहल्ले के
सेक्टर—2बी में निर्मित भागीरथी एन्क्लेव का फ्लैट संख्या—**2B/T2-503**
विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1	भूमि का प्रकार	ग्रुप हाउसिंग
2	मोहल्ला/ग्राम	**अवध विहार योजना**
3	सम्पत्ति का विवरण	फ्लैट्स सं0 2B/T2-503
4	टावर नं0	: **T-2**
5	फ्लोर संख्या	: 5th
6	प्रकार	: 3BHK+SERVANT
7	भूमि की माप	: 59.29 वर्ग मीटर
8	फ्लैट्स का निर्मित क्षेत्रफल	: 135.92 वर्ग मीटर
9	फ्लैट्स का सुपर एरिया	: 161.14 वर्ग मीटर
10	फ्लैट्स का प्रकार	: आवासीय फ्लैट
11	कुल क्षेत्रफल	: 161.14 वर्ग मीटर
12	कुल कर्वड क्षेत्रफल	: 135.92 वर्ग मीटर
13	स्टेट्स फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड/अन्य	: फिनिश्ड
14	प्रतिफल की धनराशि	: **53,98,183.00**
15	मूल्य	: **53,09,222.00**
16	बाउन्ड्री आफ दा फ्लैट्स संख्या	उत्तर Stairs दक्षिण TOWER NO T3 पूर्व फ्लैट्स सं0 2B/T2-502 पश्चिम Open To Sky

क्रमशः 9 पर

क्रेता **विक्रेता**

पुष्टि विलेख 52

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 5398183 स्टाम्प शुल्क- 378000 बाजारी मूल्य - 4389000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 20080

श्री सौरभ कुमार वर्मा ,
पुत्र श्री स्व० नरेन्द्र कुमार वर्मा
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: टी-४/2 कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मेरठ ऊ०प्र०

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/08/2018 एवं 04:58:55 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
03/08/2018

राजकिशोर वर्मा .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

" अनुसूची –ख "

जिसके साक्ष्य में **श्री आर0के0 सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक** परिषद की ओर से और उसकी ओर से **श्री सौरभ कुमार वर्मा** आशयिता संख्या–2B/T2-503 के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतदद्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

क्रेता
क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता
परिषद की ओर से एवं उसके लिए
सक्षम अधिकारी

1.साक्षी ह0 Sudhir Kumar Verma.
नामः– Sudhir Kumar Verma.
पताः– [illegible]

1. साक्षीः– ह0
नामः– M.H. [illegible]
पताः–

2.साक्षी ह0
नामः–
पताः–

2. साक्षीः– ह0
नामः–
पताः–

योजना सहायक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ के द्वारा अ... के
सिंह, संपत्ति प्रबंधक अवध विहार योजना लखनऊ
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और
हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं हैं और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के
लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता: 1

श्री सौरभ कुमार वर्मा, पुत्र श्री स्व० नरेन्द्र कुमार वर्मा

निवासी: टी-४/2 कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मेरठ ऊ०प्र०

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सुधीर कुमार वर्मा, पुत्र श्री कन्हैय्या लाल वर्मा

निवासी: ख्धारा शिव पुर, दहराइच,

व्यवसाय: अध्ययन

पहचानकर्ता : 2

श्री अमित कुमार, योजना सहायक

निवासी: उ०प्र० आवास एवम विकास परिषद लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राजकिशोर वर्मा .
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -
नियमित

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

CONSTRUCTION DIVISION-7

U.P. AVAS EVEM VIKAS PARISHAD

INDIRA NAGAR, LUCKNOW.

SITE PLAN OF FLAT NO.- 2B/T2-503 FLAT TYPE- 3 BHK+Servent (GROUP-G)
IN BHAGIRATHI ENCLAVE AT-SEC.-2B, AVADH VIHAR YOJNA, LUCKNOW.
SUPER AREA:-161.14 M²
NAME OF ALLOTEE:- Saurabh Kumar Verma

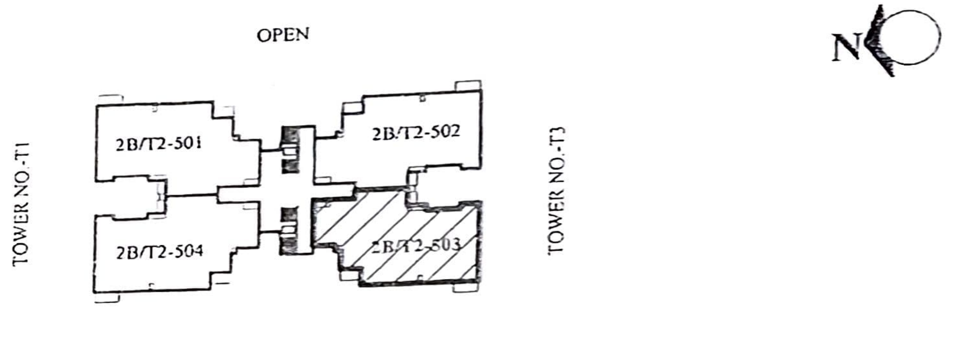

TOWER NO.-T2
SITE PLAN
(NOT TO THE SCALE)

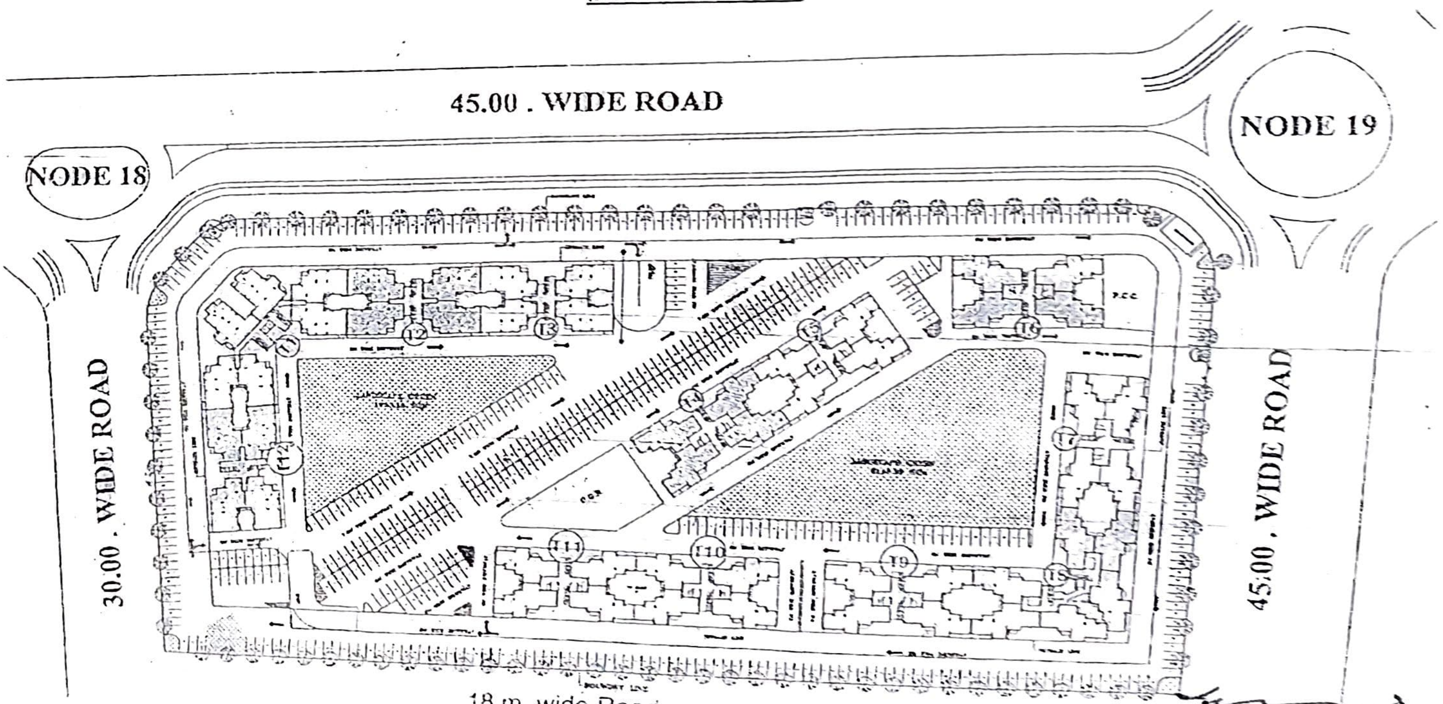

LAY-OUT PLAN
(NOT TO THE SCALE)

विक्रेता

D/MAN J.E. (ललित कुमार) A.E. (सैय्द० आरिफ) क्रेता ALLOTEE

पुष्टि विलेख 60

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 170 के पृष्ठ 309 से 330 तक क्रमांक 2428 पर
दिनाँक 03/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्मल सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
03/08/2018